

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



G 177068

~~007-0~~

26-2-2018

1. भूमि का प्रकार
2. वार्ड/परगना
3. तालुका

कृषि
 बस्ती पूरब
 शिवपुर

4. मोहल्ला / ग्राम
5. सम्पत्ति का विवरण

टिनिच शुक्ल

: फार्म 23 चक होल्डर नं० 119 के गाटा सं० 17मि०, 20मि०

(यूनिक आईडी- चकबन्दी मे ह)

$$\therefore \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$
$$: 0.234 \pm 0$$

∴ कुछ नहीं

॥ कछु नहि

॥
॥
॥

॥
क॥
॥

12 वल आच्छादित क्षेत्रफल

12 वल आच्छादित क्षेत्रफल

स्थिति-फिनिश / समीफिनिश / अन्य

14. पेड़ों का मूल्यांकन

15. बोरिंग / कूआं / अन्य

16. निर्मित क्षेत्रफल

17. निर्माण का वर्ष

18. सहकारी आवास समिति के सदस्य से

सम्बन्धित है

19. प्रतिफल की धनराशि

20. सरकारी मालियत

21. रक्षा

म० 28.18.825 / --रूपये

म० दि. १२.६.२० - रूपये

₹ 1,40,950/- रूपये

12.35.421027



Sumi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

G 177069

G 177069

चौहद्दी :-

पूरब:-

पश्चिम:-

उत्तर:-

दक्षिण:-

आराजी चक होल्डर नं0 371

चक रोड

आराजी चक होल्डर नं0 207

रेलवे लाईन

यह विक्री विलेख उपनिबन्धक भानपुर जिला बस्ती दिनांक 26/11/18 के इस दिवस को तैयार और निष्पादित किया जाता है।

के मध्य

पृथ्वीनाथ पुत्र सत्यनारायण निवासी ग्राम सुल्तानपुर तप्यां शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती एतद्वारा जिसे विक्रेता/प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक, निष्पादक, वकील और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे। मो0

नं0-789-7510975

और

एन0 सी0 एम0 एल0 बस्ती प्रा0लि0 जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है जिसका पंजीकृत कार्यालय -IFFCO Tower- 1, B-Wing 5th Floor, Plot No. 3, Sector 29, Gurgaon, Haryana- 122001 है के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन दिनांक 30 जनवरी 2017 एवम् आथोरिटी लेटर दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के द्वारा श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल को क्रेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया है अतः श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल उक्त विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एतद्वारा जिन्हें "क्रेता" के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, जिसका अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे) मो0 नं0-9205590148

श्री. च. घृष्णीनाथ



Signature

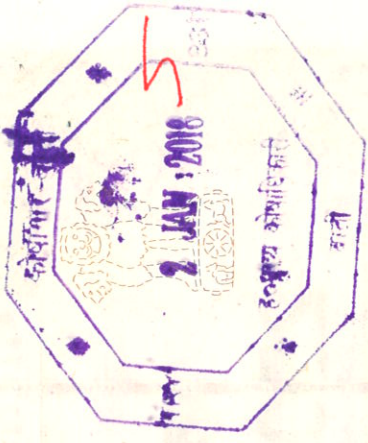


THEY ARE FOR THE BUREAU OF THE CARPENTERS - 89

11014563 1010574

MOON

बुधवार १५ मार्च १९४६



~~2122~~



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

G 177070

G 177070

चूंकि तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्वामित्व/अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी रिकार्ड के अनुसार, चक होल्डर/चकदार नं० 119 के प्रस्तावित गाटा सं० 17मि० रक्बा 0.030 हे० व 20मि० रक्बा 0.204 हे०, कुल रक्बा 0.234 हे० सभी गाटों का कुल विक्रित रक्बा 0.234 हे० का सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के मूल स्वामी प्रथम पक्ष है तथा विक्रेता अपने निज हिस्से की भूमि ही विक्रय कर रहा है। और चूंकि एतद्वारा विक्रेता के बीच यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को बेचने पर सहमति हुई है, और आगे भी उपरोक्त भूमि के लिए इस अंतिम बिक्री विलेख निश्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।, विक्रेता उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा भविष्य में दायर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे, मांग, अभियोग और/या कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान क्रेता को उसके मालिकाना अधिकारों और बिक्रीयोग्य स्वत्वाधिकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

और चूंकि यहां विक्रेता के पास अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व, कब्जा और निवास के पूर्ण अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित प्राप्त हैं। वर्तमान विक्रेता के नाम भूमि अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी रिकार्ड में दर्शाए गये हैं। उपरोक्त संपत्ति सभी शुल्क/प्रभारों से मुक्त है और विक्रेता के अधिकार मान्य, स्पष्ट, बिक्री योग्य और हस्तांतरणीय है और वह कानून के तहत प्रदान किये गये तरीके से उसी तरह से निपटने की हकदार हैं (जिसमें वर्तमान खरीदार को उसे बेचना शामिल है) निम्न दी गई परिस्थितियों और शर्तों और नियमों के अंतर्गत:-

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि वह किसी आदिवासी/जनजातीय/अनुसूचित जाति या किसी भी अन्य जाति या पंथ से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत खरीदार के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति कानून के अंतर्गत हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तटीय नियमों, आरक्षण, ग्राम समाज की जमीन तालाब, जंगल, खनन अधिग्रहण आदि के कोई प्रावधान कभी भी उसपर लागू नहीं हुए हैं और उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी अध्यादेश,

S. m. Guravara



Suni



MCL about 5 ft
Sublime + Bats under cave - 29

110116 463 611-58

100

1.1.8
श्रीवास
कुमार कोषाचार
रम रोहिणी बस्ती



96-96-96



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

G 177071

G 177071

अधिनियम, अनुच्छेद, नियम और विनियमों (राज्य या केंद्रीय) के तहत कोई अधिसूचना जारी/प्राप्त नहीं की गई है जिसके अंतर्गत विक्रेता खरीदार को कथित संपत्तियों की बिक्री या निपटान से रोका गया है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई अभियोग या अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है। विक्रेता ने यह घोषित किया है कि कथित संपत्ति सभी लेनदेन व भार/बंधक से मुक्त, बिक्री योग्य और प्रसारहित है और विक्रेता एकमात्र व्यक्ति है जो उस संपत्ति का पूर्ण हकदार है और विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिये भी सहमत है और खरीदार, उसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और हस्तांतरितीयों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही, दावे, नुकसान, मुकदमे, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार को उन किसी अन्य व्यक्ति के दावों के परिणामस्वरूप खर्च करना या भुगतान करना पड़ सकता है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, खरीदार चक होल्डर नं० 119 के प्रस्तावित गाटा सं० 17मि०, 20मि०, कुल विक्रित रकबा 0.234 हे० स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है जोकि चकबन्दी की प्रक्रिया में है विक्रेता अग्रिम रुपये 28,18,825/- मौद्रिक प्रतिफल के रूप में (रुपये अट्ठाईस लाख अठारह हजार आठ सौ पच्चीस केवल) के एवज में खरीदने के लिये सहमत हो गया है जिसकी कीमत 48,75,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.234 हे० का मूल्यांकन मु० 28,18,825/-रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से मु० 1,40,950/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन प्रतिनिधित्व और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, भूमि खरीद की प्रतिफल राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दी गई है:

श्री. म. पूरवागच-



Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

A 946624

A 946624

नाम	बैंक का नाम	राशि	डि० डि० नं० / यूटी० आर० नं०	दिनांक
पृथ्वीनाथ	यस बैंक गोरखपुर उ० प्र०	28,18,825 / -	127080 YES BANK LTD 22654- 773776	30.02.2017 26.02.2018

विक्रेता द्वारा इस बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले उपरोक्त वर्णित भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि कर दी गई है।

और चूंकि खरीदार ने अब विक्रेता को इस बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया है, जिसे विक्रेता इसके आगे जिस प्रकार प्रस्तुत किया है सहमत हो गया है;

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि खरीदार इस बिक्री विलेख के निष्पादन पर या उससे पहले विक्रेता को उपरोक्त प्रतिफल राशि की पूर्ण और अंतिम स्वीकृत प्रतिफल देय राशि का भुगतान कर दिया, विक्रेता की ओर से भूमि और उसका प्रत्येक हिस्सा, खरीदार के पक्ष में हमेशा के लिये विमुक्त, रिलीज और डिस्चार्ज करना होगा जिसमें उसके पेड़, फसलें, कुंआं, ट्यूब/बोर-वेल, कोई भी संरचना या कुछ भी ऐसा जो वहां पर स्थायी रूप से स्थापित हैं, और किसी भी प्रकार की कोई उत्पादित वस्तु जो कुछ भी है जो निष्पादन तारीख तक कथित संपत्ति पर उपलब्ध है जिसके, मालियत परस्टाम्पशुल्क अदा किया गया है तथा इस विक्रय पत्र पर वर्णित होगा विक्रेता एतद्वारा खरीदार को हमेशा के लिए में कृषि भूमि जिसका चक होल्डर नं० 119 के प्रस्तावित गाटा सं० 17मि०, 20मि०, मे से कुल विक्रित रकबा 0.234 हे० स्थित मौजा टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानुपुर जिला बस्ती में स्थित है उसकी अनुमति, बिक्री, हस्तांतरित और भरोसा, सभी,

Dr. M. Purnanand



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

A 946625

A 946625

नालियों, रास्ते, मार्ग, विशेषाधिकार, भोगाधिकार, लाभ, फायदों, अधिकारों, सदस्यों और साजो सामान के साथ, कथित संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी है या उसके साथ उसका जो भी सरोकार है या उसी के साथ या अब उसके किसी भाग को या अब तक किसी भी समय जो उसके पास है, जिसका उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कब्जे में है या जिसका वह आनंद उठा रहा है या प्रसिद्ध या हिस्से के रूप में जाना जाने वाला भाग या कथित संपत्ति को समस्त विलेख, दस्तावेजों, लिखित कागजात, वाउचर और कथित संपत्ति के स्वामित्व के अन्य साक्ष्यों के साथ या उसका कोई हिस्सा और सभी एस्टेट, अधिकार, मालिकाना, हित, उपयोग, विरासत, संपत्ति, कब्जा, लाभ, दावा और मांग के साथ जो कुछ भी कानूनन और विक्रेता के इस संपत्ति पर या उसके अंश पर है या उनका कोई भाग रखने के लिये है या रोकने के लिये है वे सभी या उनमें से कोई एक कथित संपत्ति को एतदद्वारा स्वीकृति देता है, बताता है और आश्वस्त करता है या इरादा या अभिव्यक्ति करता है जो उनके साथ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अधिकार, सदस्य और साजो सामान, को खरीदार के इस्तेमाल और लाभ के लिये स्वीकृति, बिक्री, हस्तांतरण और आश्वासन प्रदान करता है हमेशा किराया, दर, कर, मूल्यांकन, देयता और कर्तव्यों के अधीन खरीदार पर लगाए जाएंगे और वे या इसके बाद सरकार या स्थानीय ग्राम पंचायत या इस संपत्ति से संबंधित किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को देय होंगे और विक्रेता यहां इसके बाद अपने स्वयं को, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को, खरीदार को वचन देता है कि विक्रेता द्वारा किसी कार्यवाही, मांग, मामले या किसी चीज के ना होते हुए भी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, कानूनसंगत या उसके समान किसी के द्वारा, से, माध्यम से, अधीन या उसके लिये वि वास करते हुए दावा करने पर, और विक्रेता अपने स्वयं के अच्छे अधिकार, पूर्ण भाक्ति और सम्पूर्ण अधिकार के साथ खरीदार को उपरोक्त ढंग से विलेख निष्पादन की स्वीकृति, हस्तांतरण, बिक्री, और आश्वासन या इरादा या अभिव्यक्ति करता है।

और विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन से तुरन्त पूर्व खरीदार को कथित खाली संपत्तियों पर भान्तिपूर्वक भौतिक कब्जा सौंप दिया है और खरीदार के लिए यह वैध होगा कि वह समय-समय पर और इसके बाद हर समय इसे अपने पास शांतिपूर्वक रखे, कथित संपत्तियों पर कब्जा रखे, कब्जा प्राप्त करे, उनका आनंद उठाए और जो एतदद्वारा उसे साजो सामान के साथ हस्तांतरित की गई हैं और वह चाहे तो किराया प्राप्त करे, अन्य फायदे और लाभ उठाये, और उस पर और उसके हर हिस्से का अपने स्वयं के लिये उपयोग करे और बिना किसी मुकदमें/अभियोग, वैध/कानूनी बेदखली,

Dr. Anil Kumar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 550466

रुकावट, दावे और/या मांग जो कोई भी भविष्य में यदि विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कानूनसंगत तरीके से या उस जैसा दावा किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह दोषमुक्त, उसका हक बहाल किया पाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिये कथित सम्पत्ति को उसे खोना पड़ता है या किसी भी तरह से अन्यथा विक्रेता द्वारा अच्छे और पर्याप्त रूप से उसका बचाव किया जाएगा, उसे सभी पुरानी अन्य सम्पदा, मालकियत, शुल्कों, और/या प्रभार जो देय थे या जिनका अब भुगतान कर दिया है, जिसके लिये विक्रेता द्वारा उसके या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत या समान रूप से दावा करने या उनके द्वारा दावे के लिये खरीदार को हानि पहुँचाये बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त विक्रेता या वे सभी लोग जो कानूनन या उसके समान किसी सम्पदा, स्वत्वाधिकार, या हित या कथित सम्पत्ति में कोई अंश का दावा करते हैं या जिनका कथित सम्पत्ति में कोई हिस्सा है विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को समय पर और एतद्वारा किसी भी समय खरीदार के अनुरोध और लागत पर सभी न्यायसंगत कार्यवाहियाँ, समझौते, चीजें, मामले, सम्पत्ति हस्तांतरण और कानून का आ वासन जो कुछ भी है खरीदार के उपयोग के लिये कथित सम्पत्ति और उसके किसी हिस्से को एतद्वारा स्वीकृति और हस्तांतरण के लिये वह सब उपरोक्त तरीके से करना होगा जैसा खरीदार, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या हस्तांतरितियों या कानूनी सलाहकारों द्वारा किया जाना तर्कसंगत आवश्यक होगा।

और विक्रेता घोषित करता है कि कथित सम्पत्ति स्वयं अधिग्रहीत सम्पत्ति है और साफ, बिक्री योग्य और सभी प्रभारों से मुक्त है और यह कि केवल विक्रेता ही सम्पत्ति का एकमात्र हकदार/स्वामी है और विक्रेता खरीदार की क्षतिपूर्ति के लिये सहमत है और वह खरीदार, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रशासकों और हस्तांतरितियों की सभी कार्यवाहियों, दावों, नुकसान, अभियोगों, लागत और खर्च की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार द्वारा किये जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के दावे के परिणामस्वरूप खरीदार को खर्च या नुकसान भुगताना पड़ सकता है।

और विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित सम्पत्ति में से गुजरने के लिये किसी को भी सार्वजनिक रास्ते का अधिकार नहीं होगा या ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण या उनके मवेशी कथित सम्पत्ति के रास्ते में से पैदल या अन्यथा गुजर सकें।

नि.न. पृष्ठ 72





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 453645

और विक्रेता आगे वचन देता है निशपान की वर्तमान दिनांक तक कथित संपत्ति से संबंधित सभी देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में पूर्व भूस्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी इत्यादि को कोई भी राशि किसी भी प्रकृति में देय नहीं है। बिक्री विलेख के निशपान की तारीख तक कर यानि आंकलन कर, इत्यादि का भी भुगतान कर दिया गया है।

यदि खरीदार को कथित संपत्ति का कब्जा सौंपने तक किसी प्राधिकरण को कोई राशि का भुगतान देय है तब विक्रेता उसका भुगतान करने के लिये सहमत है और यह कि उसके बाद कथित संपत्ति का खरीदार कब्जा प्राप्त करने के बाद सभी देय राशियों का भुगतान करने का हकदार होगा। विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित संपत्ति साफ और विक्रीयोग्य है और बिना किसी संदेह के हर तरह की कुर्की और प्रभार से मुक्त है और एतद्वारा सहमत है और विक्रेता ऐसी सभी कार्यवाहियों, विलेखों, देनदारियों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, अभियोगों और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है जो किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या कथित संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण से उत्पन्न हुई या हो सकती हैं।

और विक्रीत सम्पत्ति में कोई निर्माण नहीं है और पक्षगण भारत के नागरिक हैं। विक्रीत सम्पत्ति के 300 मीटर के त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति पर फसलें, कुआं, ट्यूब/बोर-वेल आदि नहीं हैं।

इस बिक्री-खरीद लेनदेन के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, टाइटिंग, प्रिंटिंग और प्रतिलिपि शुल्क के साथ ही एडवोकेट फीस सहित सभी खर्च खरीदार द्वारा वहन किये गए हैं। विक्रेता ने एक बार फिर पुष्टि कर दी है कि उसे पूरी सहमत प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है और खरीदार से उपरोक्त संपत्तियों के एवज में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि को पूर्ण रूप से क्रेता को विक्रय करते हुए कब्जा दे दिया है इसके अतिरिक्त, विक्रेता ने हिंदी भाषा में लिखे इस विलेख के सभी खंड, नियम व शर्तें सुन या पढ़कर समझ लिया हैं। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के द्वारा ही विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे, विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा।

संपत्ति अनुसूची/सीमाएं

पि. ए. धर्मा नाथ

Signature



2/26/2018

००१२२७

पुष्टि विलेख 58.59

निष्पादन लेखपत्र द्वारा सुनिश्चित व समझने में जमाने व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1 रामजी मिश्रा सुल्तानपुर

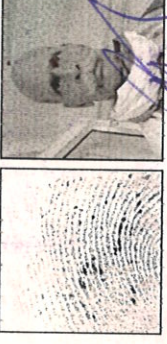
श्री पृथ्वीनाथ, पुत्र श्री सत्यनारायण

निवासी: सुल्तानपुर हामु0 रजौली पोस्ट महराजगंज जिला

बस्ती

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1



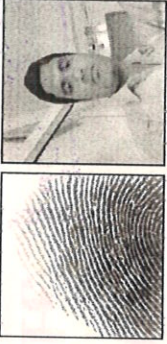
श्री एन सी एम एल बस्ती प्रा० लि० द्वारा सुनील चौरसिया,

पुत्र श्री मनोहर लाल

निवासी: इफको टावर-1 बी विंग पाचवी मंजिल प्लाट नं-3

सेक्टर 29 गुडगांव हरियाणा 122001

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री रामजी मिश्रा, पुत्र श्री राधासरन मिश्रा

निवासी: 2/5/265 कंधारी बाजार फैजाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री संतोष कुमार दूबे, पुत्र श्री राधेरमन दूबे

निवासी: दूबेपुर पोस्ट धनजई केशवपुर जिला सुल्तानपुर
228151

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः अद्व साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार

लिए गए हैं।

टिप्पणी:

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक

उप निबंधक: भानपुर

बस्ती

प्रिंट करें



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 453646

चक होल्डर नं० 119 के प्रस्तावित गाटा सं० 17मि०, 20मि०, मे से कुल विक्रित रकबा 0.234 हे० सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती जिसे संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है:

चौहद्दी :-

पूरब:-

पश्चिम:-

उत्तर:-

दक्षिण:-

आराजी चक होल्डर नं० 371

चक रोड

आराजी चक होल्डर नं० 207

रेलवे लाईन

इसको साक्षी मानकर पाटियों ने एतद्वारा उपरोक्त बिक्री विलेख पर गवाहों के समक्ष दिनांक 26.11.2018 को स्वस्थ मन,चित्त, बिना जोर दबाव के अपनी स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए

विक्रेता / विक्रेता के नाम

Sh. M. P. Singh

Sh. M. P. Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 453647

(1) श्रीमान पृथ्वीनाथ)

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए
क्रेता के नाम के भीतर

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा० लि०
बजसिये उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

श्री. सुनील चौरसिया

श्री. म. पृथ्वीनाथ-



Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 453649

गवाहान-

1. पूरा नाम- राध जी सिन्हा
पिता का नाम- राधाराज (नं. सिन्हा)
पूरा पता-बी- 21/51 265 क. चरारी बाजार केलाबाद
मो० नं०- 9721128888

2. पूरा नाम- सहोच टुकेडा राधे (प्र. सिन्हा)
पिता का नाम- राम टुकेपुर से चमजई (के. राकपुर) बिला प्रतापपुर
पूरा पता- नं० 9454314779
तहरीर दिनांक- 26/02/19

मसविदाकर्ता:- सहोच टुकेडा राधे (प्र. सिन्हा)

प्रि. म. पूरवीकर.

Singh



मेरे पास

पूरा १००० रु. का नोट है। यह नोट १००० रु. का है।

श्री १००० रु. का
नोट
मेरे पास

१००० रु. का
नोट

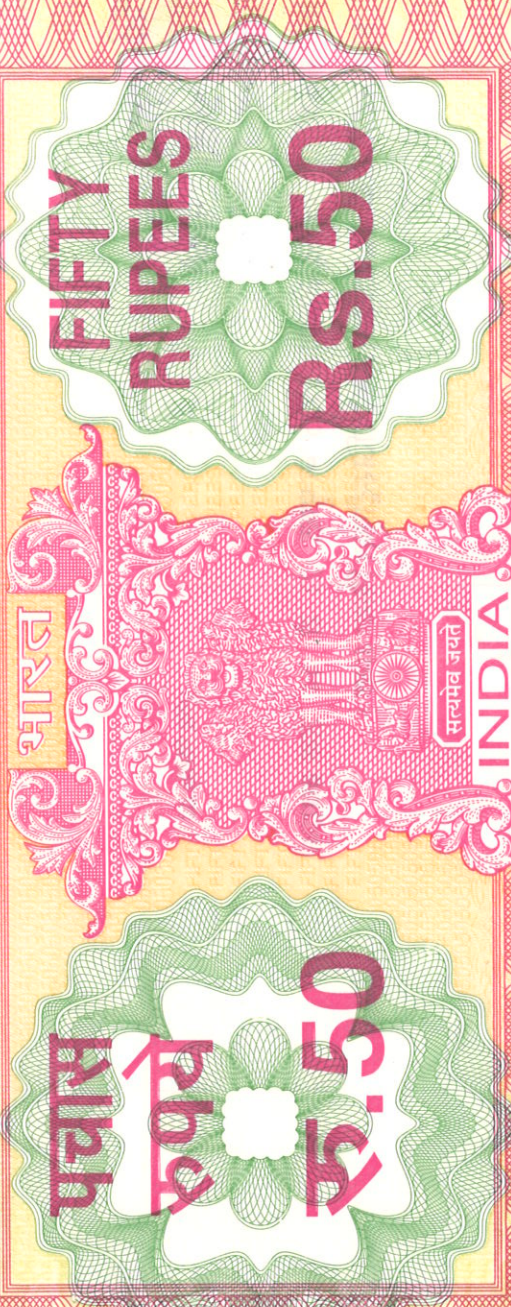


DL 423843

प्लेस
१००० रु. का



भारतीय गैर न्यायिक



पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
RS. 50

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आ. सं. २६०२१८ रावतगंज, शिवपुर पुन-वलाखरत-आनपुर-१८०११८. २०१८. २६.

पेड़ निम्नलिखित नहीं है। ३.

चमक नं. २०७	१८०	नं. ३७१
विभाग	न्याय	
रजिस्ट्रार	न्याय	

नोट: बाबा दा के आज दिनांक २६/०२/१८ मे बाबा दा के पुत्रा की मौजूदगी में बाबा दा के पुत्रा की जिम्मेदारी निम्नलिखित की गई है।

दिनांक

श्री. म. पूरवाराच.



अक्ष

Guri



गवाह



राम क. दुबे S/O
राधा शर्मा मिश्र
26/2/2018
बाबा दा

गवाह



शुबेय
Santosh K. Dubey S/O
K.K. Dubey
Village - Dubeypur
Dist: Sultanpur (U.P.)

अक्षिषा कती - अक्षिषा कती
दिनांक २६/०२/१८

779655
20/02/2018

2/26/2018
राय। गुता
जिन्दा लनेहरी बस्ती
नरमोन।

पुष्टि विसेख 60

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1725 के पृष्ठ 21 से 44 तक क्रमांक
511 पर दिनांक 26/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक
उप निबंधक : भानपुर
बस्ती

रज	1725	पृष्ठ 21 से 44
रज	1725	पृष्ठ 21 से 44

वसन्त 28/वसन्त-12
16/11/10



पुष्टि विसेख 60
राय। गुता
जिन्दा लनेहरी बस्ती
नरमोन।

20/02/2018
राय। गुता
जिन्दा लनेहरी बस्ती
नरमोन।